उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1208/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(211)-2021

लखनऊः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017, दिनांक 30 जून, 2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(एक) क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, शब्द "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या 3क के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, शब्द "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय" निकाल दिये जायेंगे ।

(तीन) क्रम संख्या 15 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में,मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से पूर्ति की जाने वाली और केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं पर उपरोक्त मद (ख) और (ग) में अंतर्विष्ट कुछ भी लागू नहीं होगा";

(चार) क्रम संख्या 17 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में,मद (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित मद बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं पर, उपरोक्त मद (ड.) में अंतर्विष्ट कुछ भी लागू नहीं होगा"।

2. यह अधिसूचना तारीख 1 जनवरी 2022 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव